उत्तर प्रदेश शासन
चिकित्सा अनुभाग-8
संख्या-80/1459/पांच-8-2015-म(04)/2015
लखनऊ: दिनांक 11 मई, 2015

कार्यालय-ज्ञाप

अधोहस्ताक्षरी को यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रान्तीय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा के अन्तर्गत एलोपैथिक चिकित्साधिकारी के पद पर लोक सेवा आयोग, उ0प्र0 इलाहाबाद द्वारा वर्ष 2014 में अनारक्षित अग्रेनीत पदों पर चयन के फलस्वरूप पत्र संख्या-287(2)/58/डी0आर0/सेवा-8/2012-13, दिनांक 15-04-2015 में 16 चिकित्साधिकारियों की नियुक्ति की संस्तुति के क्रम में प्रान्तीय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा संवर्ग के अन्तर्गत वेतनमान रू0 15,600-39,100/- ग्रेड पे रू0 5400/- में एलोपैथिक चिकित्साधिकारी के पद पर संलग्न सूची के अनुसार कुल 16 चिकित्साधिकारियों को मौलिक एवं अस्थायी रूप से नियमित नियुक्ति प्रदान करते हुए उनके नाम के सम्मुख उल्लिखित जनपद में मुख्य चिकित्साधिकारी/मुख्य चिकित्सा अधीक्षक के अधीन निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अन्तर्गत तैनात करने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

1- सम्बन्धित चिकित्साधिकारियों को प्रान्तीय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा नियमावली, 2004 के नियम 18 के अधीन 02 वर्ष की परिवीक्षा पर रखा जायेगा।

2- सम्बन्धित चिकित्साधिकारी का स्वास्थ्य परीक्षण मण्डलीय चिकित्सा परिषद् द्वारा किया जायेगा और उक्त परिषद् द्वारा स्वस्थ घोषित किये जाने के उपरान्त ही उन्हें कार्यभार ग्रहण कराया जायेगा। इस हेतु चिकित्साधिकारी अपने नियुक्ति पत्र सहित अपनी तैनाती के मण्डल के अपर निदेशक से शर्त क्रमांक-5 में निर्धारित अवधि में सम्पर्क कर स्वास्थ्य परीक्षण हेतु उपस्थित होगे।

3- सम्बन्धित चिकित्साधिकारी संलग्न निर्धारित शपथ पत्र के प्रारूप पर अपने चरित्र प्राग्वृत्त का सत्यापन स्वयं करेगा। उसमें यदि कोई प्रतिकूल तथ्य शासन के संज्ञान में आता है, तो उनकी सेवायें शासन स्तर से तत्काल समाप्त कर दी जायेगी।

http://shasanadesh.up.nic.in

क्रमशः

4- सम्बन्धित चिकित्साधिकारी को उक्त वेतनमान में वेतन के अतिरिक्त समय-समय पर जारी शासनादेशों के अन्तर्गत अनुमन्य मंहगाई भत्ता एवं अन्य भत्ते आदि भी देय होंगे। उन्हें उ0प्र0 सरकारी डाक्टर(एलोपैथिक) प्राईवेट प्रैक्टिस पर निर्बन्धन नियमावली, 1983 यथासंशोधित शासनादेश संख्या-248/सेक-2-पांच-2003-7(55)/97, दिनांक 01 फरवरी, 2003 एवं पुन: संशोधित शासनादेश संख्या-2746/सेक-2-पांच-2003-7(55)/97टी0सी0, दिनांक 28 मई, 2005 के अन्तर्गत प्राईवेट प्रैक्टिस की अनुमति नहीं होगी और नियमानुसार प्रैक्टिस बन्दी भत्ता देय होगा।

5- सम्बन्धित चिकित्साधिकारी **दिनांक 11-06-2015** तक अपने पद पर कार्यभार ग्रहण करेंगे। उक्त अवधि के भीतर वे अपनी तैनाती के जनपद में मुख्य चिकित्साधिकारी/मुख्य चिकित्सा अधीक्षक के समक्ष उपस्थित होगें तथा शर्त क्रमांक-7 में उल्लिखित समस्त प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेंगे। यदि वे उक्त निर्धारित अवधि में अपनी तैनाती के जनपद में योगदान की सूचना नहीं देते हैं, तो उनका अभ्यर्थन समाप्त करने पर शासन स्तर पर विचार किया जायेगा।

6- नियुक्ति स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु चिकित्साधिकारियों को किसी भी प्रकार का यात्रा भत्ता आदि देय नहीं होगा।

7- चिकित्साधिकारी को कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व निम्न प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने होंगे :-

(1) दो ऐसे राजपत्रित अधिकारियों से, जो सक्रिय सेवा में और उनसे पूर्ण रूप से परिचित हो, किन्तु उनके सम्बन्धी न हो, अच्छे चरित्र का प्रमाण पत्र (संलग्नक प्रारूप में)

(2) अभियोजन न चलाये जाने, न्यायालय द्वारा दण्डित न किये जाने तथा चरित्र प्राग्वृत्त सत्यापन में कोई प्रतिकूल तथ्य-शासन के संज्ञान में आने पर सेवायें समाप्त करने के सम्बन्ध में शपथ पत्र (संलग्न प्रारूप पर)

(3) उ0प्र0 मेडिकल काउन्सिल द्वारा दिये गये स्थायी रजिस्ट्रेशन की 02 प्रतियां।

(4) ओथ एलीजियन्श का प्रमाण पत्र।

(5) गोपनीयता का प्रमाण पत्र।

क्रमश:

http://shasnadesh.up.nic.in

(6) चल अचल सम्पत्ति का प्रमाण पत्र।

(7) एक से अधिक जीवित पति/पत्नी न होने का प्रमाण पत्र।

(8) मेडिकल बोर्ड द्वारा प्रदत्त प्रमाण पत्र।

8- संलग्न सूची में अंकित चिकित्साधिकारियों में से यदि कोई चिकित्साधिकारी पूर्व से पी0एम0एच0एस0 संवर्ग में कार्यरत है, तो उसे यह लिखित रूप में विकल्प देना होगा कि वह पूर्व में की गयी नियुक्ति के आधार पर सेवा में रहना चाहता है या वर्तमान में की गई नियुक्ति के आधार पर। यदि किसी चिकित्साधिकारी द्वारा वर्तमान में की गई नियुक्ति के आधार पर सेवा में रहने का विकल्प दिया जाता है, तो उसके द्वारा पूर्व में की गई सेवा की गणना वरिष्ठता निर्धारण हेतु नहीं की जायेगी।

2- प्रान्तीय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा संवर्ग में उक्त चिकित्साधिकारियों की वरिष्ठता लोक सेवा आयोग द्वारा निर्धारित ज्येष्ठता क्रम के आधार पर यथासमय नियमानुसार निर्धारित की जायेगी।

<u>संलग्नक-तैनाती सूची एवं शपथ पत्र का प्रारूप।</u>

अरविन्द नारायण मिश्र
सचिव।

संख्या-80/1459(1)/पांच-8-2015-तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।

2- सचिव, लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद को उनके पत्र संख्या-287(2)/58/डी0आर0/सेवा-8/2012-13, दिनांक 15-04-2015 के सन्दर्भ में।

3- महानिदेशक/निदेशक(प्रशासन), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, उ0प्र0, लखनऊ को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि नियुक्ति आदेश को सर्व सम्बन्धितों को अपने स्तर से उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। नियुक्ति में कोई भी परिवर्तन शासन स्तर से ही किया जायेगा।

क्रमशः

http://khasaradeshup.nic.in

4- सम्बन्धित मण्डलीय अपर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उ0प्र0 को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि नियुक्त किये गये चिकित्साधिकारियों के स्वास्थ्य परीक्षण की तत्काल व्यवस्था करायें तथा चिकित्साधिकारी को स्वास्थ्य प्रमाण पत्र उपलब्ध करा दिया जाय, जिससे कार्यभार ग्रहण करने में अनावश्यक विलम्ब न हो, किन्तु मेडिकल बोर्ड द्वारा स्थायी रूप से अयोग्य घोषित किये गये चिकित्साधिकारी के मामले में स्वास्थ्य परीक्षण कराये जाने हेतु शासन को सन्दर्भित किया जायेगा।

5- निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री, उ0प्र0, इलाहाबाद।

6- संयुक्त निदेशक(कार्मिक/गोपन), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय, उ0प्र0, लखनऊ।

7- सम्बन्धित मुख्य चिकित्साधिकारी/मुख्य चिकित्सा अधीक्षक को इस निर्देश के साथ कि वे नियुक्त चिकित्साधिकारी को मण्डलीय चिकित्सा परिषद् द्वारा स्वस्थ घोषित किये जाने पर निर्धारित तिथि तक उनके प्रस्तर-7(1) में उल्लिखित अभिलेखों को प्राप्त कर योगदान आख्या शासन को विलम्बतम एक सप्ताह में उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करें।

8- सम्बन्धित चिकित्साधिकारी।

9- सम्बन्धित कोषाधिकारी, उ0प्र0।

10- प्रभारी,कम्प्यूटर सेल को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त आदेश को विभागीय वेवसाइट पर अपलोड किया जाना सुनिश्चित करें।

11- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(विनोद कुमार सिंह)
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

<u>चरित्र प्रमाण-पत्र</u>

मैं प्रमाणित करता हूँ कि डा0-----------------------पुत्र श्री----------------------------
निवासी--
को विगत---------------------वर्षो/माह में व्यक्तिगत रूप से जानता हूँ। मेरे संज्ञान में ऐसे कोई तथ्य नहीं हैं, जो इनके प्रतिकूल हो।

डा0--------------------------------मेरे निकट सम्बन्धी नहीं है, उनके उत्कृष्ट चरित्र एवं प्राग्वृत्त के अनुसार उनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ।

हस्ताक्षर-----------------------
निवास-------------------------

http://shasandesh.up.nic.in

प्रान्तीय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा संवर्ग के अन्तर्गत एलोपैथिक चिकित्साधिकारी के पदों पर लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद द्वारा वर्ष 2015 में चयनित चिकित्साधिकारी द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व प्रस्तुत किये जाने वाले शपथ-पत्र का प्रारूप:-

----

समक्ष मुख्य चिकित्साधिकारी/मुख्य चिकित्सा अधीक्षक---------------------शपथ पत्र डा0------------------------ पुत्र श्री/डा0--------------------------------निवासी--------------------------------- जनपद-------------------मैं डा0------------------------------ शपथकर्ता उपरोक्त निम्नलिखित बयान करता हूँ:-

1. यह कि शपथकर्ता की नियुक्ति शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या--------------------------------- दिनांक ----------------द्वारा उ0प्र0 प्रान्तीय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा संवर्ग के अन्तर्गत एलोपैथिक चिकित्साधिकारी के सामान्य उपसंवर्ग के पद पर नियुक्त करते हुए मुख्य चिकित्साधिकारी/मुख्य चिकित्सा अधीक्षक---के अधीन तैनात किया गया है।
2. यह कि शपथकर्ता के विरूद्व कोई आपराधिक मामला अथवा अन्य कोई ऐसा मामला लम्बित अथवा विचाराधीन नहीं है, जो उसे उक्त पद पर योगदान करने अथवा शासकीय सेवा करने के लिए आयोग्य ठहराता हो।
3. यह कि शपथकर्ता के चरित्र एवं प्राग्वृत्त संगठन की सदस्य नहीं है।
4. यह कि शपथकर्ता के चरित्र एवं प्राग्वृत्त सत्यापन में कोई अन्यथा तथ्य एवं प्रतिकूल तथ्य पाये जाने की दशा में मेरी नियुक्ति निरस्त कर विधि समस्त कार्यवाही की जाती है, तब प्रश्नगत नियुक्ति/तैनाती के सम्बन्ध में कोई अधिकार/दावा/क्षतिपूर्ति क्लेम नहीं करूँगा और उ0प्र0 शासन को अधिकार होगा कि वह बिना कोई कारण बताये मेरी नियुक्ति निरस्त/समाप्त कर दें।

दिनांक----------

<u>सत्यापन</u>

मैं डा0----------------शपथकर्ता ईश्वर की शपथ लेकर/सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूँ कि उक्त शपथ-पत्र के प्रस्तर-1 से 4 के तथ्य मेरे निजी ज्ञान में सच व सही है, कोई तथ्य छिपाया नहीं गया है। ईश्वर मेरी मदद करे।

दिनांक---------------

(शपथकर्ता)

http://shasanadesh.up.nic.in

कार्यालय ज्ञाप संख्या-80/1459/पांच-8-2015-म(04)/2015, दिनांक 11-05-2015 की तैनाती सूची का संलग्नक-

क्र. सं.	चयन क्रमांक	अनुक्रमांक	चिकित्साधिकारी का नाम/पिता/ पति का नाम/ पत्र व्यवहार का पता	श्रेणी	गृह जनपद	योग्यता/ विशेषज्ञता	प्रस्तावित तैनाती
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	58	51520090009	डा0 पल्लवी मिश्रा/पुत्री आर0के0 मिश्रा/117/ क्यू/487ए, गुरूदेव पैलेस के पीछे द्वारा मोहन ज्वैलर्स, कानपुर-208024	सामान्य	कानपुर नगर	एम0बी0बी0एस0	फतेहपुर
2.	128	51520289808	डा0 कावेरी सक्सेना/ पुत्री प्रदीप कुमार सक्सेना/द्वारा श्री कुलदीप सक्सेना, 548 कम्बोज कालोनी, गुरूद्वारा रोड, शामली-247776	सामान्य	शामली	एम0बी0बी0एस0	मुजफ्फरनगर
3.	151	51550141426	डा0 शरीफ आलम/पुत्र श्री शफीक अहमद/ 35/1, विष्णुपुरी बैंक कालोनी, खोजनपुर, फैजाबाद-224001	सामान्य	फैजाबाद	एम0बी0बी0एस0	अम्बेडकरनगर
4.	164	51510177975	डा0 के0 मोहम्मद हनीफ/पुत्र स्व0 कलाब हुसैन/35ए, द्वितीय तल, भगवान नगर आश्रम, दिल्ली-110014	सामान्य	नई दिल्ली	एम0बी0बी0एस0	बुलन्दशहर
5.	183	51550150497	डा0 सुव्रत गुप्ता/पुत्र श्री धर्म [illegible] गुप्ता/म0नं0-157, सराय [illegible], औरैया-206121	सामान्य	औरैया	एम0बी0बी0एस0	इटावा
6.	187	51520260769	डा0 रचना/पत्नी श्री रिंकुज अग्रवाल/ म0नं0- 27, टाईप-4, म[illegible] बी0 मेडिकल कालेज, झांसी-28[illegible]	सामान्य	शाहजहांपुर	एम0बी0बी0एस0	झांसी
7.	221	51520150214	डा0 आशीष गुप्ता/पुत्र श्री जी0एन0 गुप्ता/ [illegible]129, शम्भू नगर, शिकोहाबाद, फिरोजाबाद	सामान्य	फिरोजाबाद	एम0बी0बी0एस0	कासगंज
8.	280	5152025904[illegible]	डा0 गौरव प्रताप सिंह/ पुत्र श्री योगेन्द्र पाल सिंह/म0नं0-10, त्रिपुरारी नगर, [illegible]बला रोड, हाथरस-204101	सामान्य	हाथरस	एम0बी0बी0एस0	कासगंज
9.	288	[illegible]	डा0 मुक्ता अग्रवाल/ पुत्री श्री अनिल कुमार अग्रवाल/जशोदानन्दन राम औतार अग्रवाल ज्वैलर्स, मेन मार्केट, बीसलपुर, पीलीभीत	सामान्य	पीलीभीत	एम0बी0बी0एस0	आगरा
10.	299	51510087159	डा0 कुमार वरूणानिधि /पुत्र श्री दिगम्बर सिंह /तपेश्वरी आश्रम, पनकी रोड, पो0आ0- जी0एल0ए0 कालेज, डाल्टन गंज, पालामऊ, झारखण्ड-822102	सामान्य	चित्रा, झारखण्ड	एम0बी0बी0एस0	सोनभद्र

क्रमशः

http://khasandesh.up.nic.in

11.	320	51510367912	डा0 खालिद अनवर/ पुत्र श्री मो0 कलीमुल्लाह अंसारी/ ग्रा0-भिरियाही पो0-रामपुर, पी0एस0-चिरैया, जिला-पूर्वी चम्पारन, बिहार-845415	सामान्य	पूर्वी चम्पारन, बिहार	एम0बी0बी0एस0	बलिया
12.	369	51510367462	डा0 मोहम्मद सरफराज /पुत्र श्री मोहम्मद यासीन/एटी/पीओ- थावे, पी0एस0-थावे, जिला-गोपालगंज, बिहार-841440	सामान्य	गोपालगंज, बिहार	एम0बी0बी0एस0	अमरोहा
13.	372	51510066934	डा0 संतोष कुमार/पुत्र श्री दर्शनी पंडित/ मुहल्ला-रामचन्द्रपुर (मंगला स्थान रोड) पोस्ट-बिहारशरीफ, जिला-नालन्दा, बिहार-803101	सामान्य	नालन्दा, बिहार	एम0बी0बी0एस0	आजमगढ़
14.	375	51520265057	डा0 सुधी माहौर/पत्नी डा0 हिमाशूं शर्मा/ 122/609, शास्त्री नगर, कानपुर	सामान्य	कानपुर नगर	एम0बी0बी0एस0	ई0एम0ओ0 जि0चि0 कानपुर देहात
15.	379	51510197012	डा0 शशि भूषण कुमार /पुत्र श्री जय नारायन प्रसाद/जी-11, म0नं0-343, मस्जिद मोथ, साउथ एक्सटेंशन-2, नई दिल्ली-110049	सामान्य	गया, बिहार	एम0बी0बी0एस0	मुरादाबाद
16.	394	51510275347	डा0 जितेन्द्र जोशी/ पुत्र श्री दिनेश चन्द्र जोशी/5/24, पनकी पावर हाउस कालोनी, कानपुर-208020	सामान्य	चम्पावत, उत्तराखण्ड	एम0बी0बी0एस0	अमरोहा

(विनोद कुमार सिंह)
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in